

**Form-II**  
**(for projects other than linear projects)**  
**Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.**


No. 1422 /DRA Dated: 27-06, 2020

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that **02-70-13** hectares in Mohal Barwara of forest land proposed to be diverted in favour of Department of Higher Education for construction of Govt. Degree College, Dehra, Tehsil Dehra of Kangra District falls within jurisdiction of Gram Sabha Shivnath in Tehsil Dehra, Distt Kangra.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **02-70-13** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Shivnath, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexures.
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before the concerned Gram Sabha/ Municipal Council.
- (c) The Gram Sabha Shivnath has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Shivnath is enclosed as annexure.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Municipal Council have been their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA (Not applicable).

  
District Collector  
Kangra at Dharamshala

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT KANGRA (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights )Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Rakesh Kumar Prajapati, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 24-06-2020 at 04.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Shivnath, claiming rights in **02-70-13 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dehra, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_ **No claim filed by anyone** \_\_\_\_\_

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)


<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Dehra, no application was received from Gram Sabha Shivnath claiming rights in **02-70-13 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 1423 /DRA Dated : 27-06-2020

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Forest Rights Committee

**\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

27

103 366

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL, DEHRA  
DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of DEHRA Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms DHANBIR THAKUR SDO(Civil) DEHRA on 13/02/2020 at 11.00 AM/PM at DEHRA (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of BARWARA Gram Sabha, claiming rights in MOHAL BARWARA forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the BARWARA Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No. Name of Applicant\* Name of Forest Detail of forest Right

1. no claim
- 2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No. Name of Applicant\* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

OR

As informed by \_\_\_\_\_ Gram Sabha, no application was received claiming rights in \_\_\_\_\_ forest area.

Place: DEHRA

Date: 13/02/2020

dw  
SDO (Civil) cum. Chairperson / Chairperson  
Sub Division  
Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा महाल बरवाड़ा मौजा पुरसा  
प्रतिलिपि प्रस्ताव ग्राम पंचायत शिवनाथ नदो देहरा (कौवाडा)  
दिनांक 21/5/2018

प्रस्ताव संख्या Spl-I

1. वन अधिकार समिति ग्राम सभा ग्राम पंच. शिवनाथ को बैठक अंक 21/5/2018  
01 बजे स्थान ग्राम पंच. भवन शिवनाथ में धीरे धीरे केशवराज

की अध्यक्षता में की गई जिसमें महाल बरवाड़ा (वन कर्मि ग्राम पंच. शिवनाथ) गांव के अनुसूचित जनजाति  
वाले अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें श्रीदा विभाग द्वारा G.P.C. Dehra  
निर्माण के लिए 2-10-15 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हुए प्रस्ताव  
हूए गांव जागियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत  
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति को द्वारा निम्न लिखित पात्रों  
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

प्रधान Dus Raj  
वन अधिकार कर्म  
महाल बरवाड़ा

क्रमांक \* पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम  
No claim

नदो देहरा यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित कराने हेतु काम में लगे हुए हैं।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रमांक \* पात्र गांव वासी का नाम

नदो देहरा गांव सभा इस दावे/ इन दावों का निरस्त करने की क्षमता रखती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान अधीकृत सहायक/सहायक  
दिनांक ग्राम नाम

- \* गांववासी/गांव वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
- \*\* पोल्टेकर/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

प्रधान Dus Raj  
वन अधिकार कर्म  
महाल बरवाड़ा

23

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शिवनाथ (विकास खण्ड देहरा)  
प्रतिलिपि प्रस्ताव 01

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 06/06/2018

ग्राम सभा शिवनाथ की बैठक आज दिनांक 23-7-2017 को 11:00  
बजे स्थान शिवनाथ में श्री/श्रीमति सुखी देवी प्रधान की अध्यक्षता में  
की गई जिसमें करवाडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत करवाडी जंगल/वन  
क्षेत्र में (जिसमें शिवनाथ विभाग द्वारा G.O.C Dehra के निर्माण के लिए 27-07-2013  
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ  
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का  
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का चर्चा
1			
2	No claim		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड संतर की समिति को प्रेषित करती है।  
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।  
या इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान शिवनाथ  
दिनांक



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा करवाडी  
Lama Das  
दिनांक

ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र में हस्ताक्षर की अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।  
\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

rights in the

25

6

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ  
विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति रंजना देवी

दिनांक 06/06/2018

गणपूर्ति: 221 / 430

प्रस्ताव संख्या 1


विषय: 1215 विभाग/संस्था को G.D.C. Dehra  
के निर्माण हेतु 27018  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 270-12 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की  
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत शिवनाथ जी ग्राम सभा की बैठक आज  
दिनांक 06-06-2018 को सम 11:00 बजे स्थान शिवनाथ पंचायत  
देहरा में की गई, जिसमें शिवनाथ विभाग विभाग/संस्था  
को G.D.C. Dehra के निर्माण हेतु 27018  
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 270-12 हेक्टेयर वन  
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम समा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित हेक्टेयर वन भूमि को शिवनाथ विभाग की सहमति दी जाती निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम समा शिवनाथ की सहमति दी जाती है।

स्थान \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

  
Anant Prasad  
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत शिवनाथ  
Dehra Kangra H.P.